

राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रियल डवलपमेन्ट एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कॉरपोरेशन लि०
उद्योग भवन, तिलक. मार्ग, जयपुर - 5

क्रमांक: ए.2(7)9/88(3)/05/151
दिनांक: जुलाई 26, 2012

कार्यालय आदेश

निगम प्रबन्ध द्वारा पूर्व में जारी आदेश क्रमांक ए.2(7)9/88(3)/05 दिनांक 28.2.2008 में आंशिक संशोधन करते हुए पृष्ठ भाग पर अंकित शर्तों के अनुरूप निम्न अधिकारियों/कर्मचारियों को उनके निवास पर बेसिक+मोबाइल+इन्टरनेट+ब्राडबैंड सुविधा सम्मिलित कर तुरन्त प्रभाव से एकमुश्त राशि के पुनर्भरण भुगतान की मासिक वित्तीय सीमा निम्नानुसार निर्धारित की जाती है:

क्र.सं.	पदनाम	मासिक वित्तीय सीमा (रूपये में)
6.	सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक/उप प्रबन्धक/ सहायक अभियन्ता/ वरिष्ठ निजी सचिव/निजी सचिव	1000/-

उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों को निगम द्वारा पूर्व में अनुमोदित देय सुविधाएं यथावत रहेंगी।

उक्त सम्बन्ध में वित्तीय सलाहकार की सहमति व प्रबन्ध निदेशक महोदय की स्वीकृति प्राप्त कर ली गई है।


सलाहकार (ए. एण्ड एम.)
26/7

निर्धारित शर्तों का विवरण

1. प्रस्तावित मासिक वित्तीय सीमा में स्थानीय कॉल्स/एस.टी.डी./मोबाइल फोन कॉल्स रोमिंग सहित/इन्टरनेट/ब्रॉडबैंड सुविधाएं सम्मिलित होंगी। सम्बन्धित अधिकारी को स्वयं के नाम से मोबाइल का बी.एस.एन.एल. पोस्ट पेड कनेक्शन लेना होगा। प्री पेड कनेक्शन को उपयोग में लेने पर बिलों का पुनर्भरण देय नहीं होगा।
2. अधिकारी/कर्मचारी स्वीकृत वित्तीय सीमा तक एक मोबाइल फोन (बी.एस.एन.एल.) एवं एक लेण्ड लाईन फोन किसी भी सर्विस प्रोवाइडर से किसी भी टैरिफ के अनुसार प्राप्त कर सकेंगे। ब्रॉडबैंड, लैण्ड लाईन के साथ अथवा ब्रॉडबैंड कार्ड के माध्यम से भी ली जा सकती है। सिर्फ ब्रॉडबैंड के लिए भी पृथक टेलीफोन कनेक्शन लिया जा सकता है। अधिकारी/कर्मचारी को मोबाइल फोन/ ब्रॉडबैंड/इन्टरनेट कनेक्शन लेना अनिवार्य होगा अन्यथा ब्रॉडबैंड नहीं लेने पर 500/- प्रतिमाह अनुज्ञेय सीमा में से स्वतः कम कर शेष राशि ही देय होगी अर्थात् कोई अधिकारी यदि ब्रॉडबैंड, इन्टरनेट का उपयोग नहीं करता है तो इसके पेटे 500/- प्रतिमाह वित्तीय सीमा में स्वतः ही कम हो जायेंगे।
3. एक वित्तीय वर्ष के दौरान निर्धारित मासिक वित्तीय सीमा से अधिक व्यय होने पर ऐसे अधिक व्यय को पूर्व महीनों के कम व्यय से बची राशि से समायोजित किया जा सकेगा।
4. निगम द्वारा निर्धारित सीमा तक के बिलों का पुनर्भरण मूल रसीद एवं मूल बिल प्रेषित करने पर किया जाएगा।
5. सभी अधिकारी/कर्मचारी बिलों का सत्यापन स्वयं करेंगे। बिल के प्रमाणीकरण के लिए "प्रमाणित" लिखा जाना ही पर्याप्त होगा। अन्य द्वारा सत्यापित बिल मान्य नहीं होंगे।
6. निगम द्वारा मोबाइल हैंडसेट/टेलीफोन यंत्र/मॉडल उपलब्ध नहीं कराया जाएगा।
7. मासिक वित्तीय सीमा में सरचार्ज राशि सम्मिलित है।
8. पूर्व में जिन अधिकारियों/कर्मचारियों ने स्पाउस के नाम से बेसिक टेलीफोन के उपयोग की अनुमति प्राप्त कर ली थी, उन्हें भी वर्तमान निर्धारित सीमा तक पुनर्भरण देय होगा।
9. अधिकारी के स्थानान्तरण हो जाने पर बकाया अनुज्ञेय सीमा राशि समाप्त मानी जायेगी।

26/7